पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 16583

==========

ब्रज किशोर सदानंद, पुत्र- स्वर्गीय बलराम प्रसाद यादव, निवासी- ग्राम -सोनारी, थाना -सिरडाला, जिला- नवादा।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

6. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

7. जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज।

8. अतिरिक्त कलेक्टर, किशनगंज।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता, श्री राम बिनोद सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/गण के लिए	:	श्री मो. हारून कुरेशी, एसी से एससी 1

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 17(2), 18*

संदर्भित मामले:

- *रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य, (2009) 2 एससीसी 570 में रिपोर्ट किया गया*
- *चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ, एआईआर 1964 एससी 1854 में रिपोर्ट किया गया*
- *यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विनोद कुमार, (2008) 1 एससीसी 115 में रिपोर्ट किया गया*
- *भारत संघ एवं अन्य बनाम ज्ञान चंद चत्तर, (2009) 12 एससीसी 78 में रिपोर्ट किया गया]*
- *पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य बनाम जय भगवान, (2011) 6 एससीसी 376 में रिपोर्ट किया गया*

याचिका- याचिका दायर की गई है, जिसमें उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई है और भविष्य में राज्य सरकार के किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पुनरावलोकन याचिका भी अस्वीकृत कर दी गई थी।

जब याचिकाकर्ता वरिष्ठ उप कलेक्टर के रूप में तैनात थे, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के नाम पर अवैध घूस की मांग का आरोप था।

निर्णय- प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को बिना किसी गवाह की परीक्षा किए और रिपोर्ट की सामग्री का समर्थन करने के लिए गवाहों की कोई गवाही लिए बिना अनुशासनात्मक प्रक्रिया में आरोपों को साबित करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। (पैरा 19)

चाहे गबन की राशि छोटी हो या बड़ी, गबन का कृत्य ही प्रासंगिक है। (पैरा 20)

न तो शिकायतकर्ता और न ही जांच समिति के सदस्य को विभागीय कार्यवाही के दौरान परीक्षा के लिए बुलाया गया, और इस प्रकार याचिकाकर्ता को रिपोर्ट में की गई सामग्री/तर्कों का विरोध करने या रिपोर्ट के लेखकों की जाँच-परख करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता की जांच न करना सरकारी कर्मचारी को जाँच-परख का अवसर देने से इनकार करना है। (पैरा 21)

आरोप पत्र में गवाहों की सूची नहीं है और आरोप केवल तीन सदस्यीय जांच रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध किए गए हैं। इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने नियम 17(3) और (4) के तहत पूरी तरह से उपेक्षा की है। (पैरा 25)

अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी दूसरा शो-कॉज़ नोटिस नियम 18(2) के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता, क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होते हुए उन सामग्रियों पर निर्भर किया है, जो स्पष्ट रूप से कानून में स्वीकार्य नहीं हैं। (पैरा 28)

याचिका मंजूर की जाती है। (पैरा 31)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सी. ए. भी. निर्णय

दिनांक : 07-01-2025

इस न्यायालय ने श्री विंध्याचल सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री विपिन कुमार सिंह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और मोहम्मद हारून कुरैशी, राज्य के विद्वान् अधिवक्ता को सुना है।

2. याचिकाकर्ता ज्ञापन संख्या 8580 में निहित दिनांक 31.05.2022 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई है और साथ ही राज्य सरकार के साथ भविष्य में किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता ने ज्ञापन संख्या 17575 दिनांक 27.09.2022 में निहित अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई।

3. वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए जिन तथ्यों को आधार बनाया गया है वे अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

4. याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग के 39 वें बैच में सफल घोषित होने पर 08.01.1996 को डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवायें शुरू की थी। जब वे किशनगंज में वरिष्ठ डिप्टी -कलेक्टर के रूप में तैनात थे, तब 18.04.2014 को श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता (डी.आर.डी.ए.) किशनगंज द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गई थी, जिसमे जिला मजिस्ट्रेट के नाम पर अवैध रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था। आरोप की सत्यता की जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 21.04.2014 के आदेश से तीन पदाधिकारियों की एक समिति का

गठन किया गया था। समिति ने आरोप को सत्य पाते हुए दिनांक 28.06.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त जांच रिपोर्ट को रिट याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है। उक्त आधार पर, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता को आरोप प्रपत्र "का" में निहित ज्ञापन याचिकाकर्ता को विधिवत तामील किया गया था या चिकाकर्ता को अपना कारण बताओ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में उन्होंने 04.01.2016 को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अन्य सुसंगत तथ्यों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज से भी राय मांगी गई है, जिन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी, किशनगंज के निष्कर्ष के साथ सहमति जताते हुए पत्र संख्या 374 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से अपनी राय प्रस्तुत की। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी, किशनगंज ने पत्र संख्या 35 दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से राय व्यक्त की थी कि तीन सदस्यों की समिति की रिपोर्ट में विसंगतियां और विरोधाभास है। याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के संबंध में लगाए गए आरोप सत्य नहीं पाये गए। उपर्युक्त दोनों पत्रों को अनुलग्नक- 5 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया है।

5. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने अपने ज्ञापांक संख्या 5885 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (जिसे आगे “नियमावली 2005” कहा जाएगा) के नियम 17 (2) के तहत विस्तृत जांच के लिए निर्देश दिया और आयुक्त, पूर्णिया मंडल को संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त

किया, जबकि जिला कलेक्टर, किशनगंज द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

6. याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए 04.08.2020 को संचालन अधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जाँच पूरी होने पर, आयुक्त-सह-संचालन अधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया ने 25.05.2021 को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की; याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। हालांकि, अनुशासनिक प्राधिकार ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से भिन्न राए रखते हुए पत्रांक संख्या 7277 दिनांक 19.07.2021 के तहत याचिकाकर्ता को दूसरा कारण-बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपने पहले के कारण- बताओ स्पष्टीकरण पर मिले जवाब का हवाला देते हुए अपना आगे का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जाँच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करने पर, अनुशासनिक प्राधिकार ने नियमावली 2005 के नियम 14 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया और पत्रांक संख्या 100581 दिनांक 06.09.2021 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से अनुमोदन मांगा

7. इस बीच, याचिकाकर्ता ने विभागीय कार्यवाही जारी रखने और दूसरे कारण बताओ नोटिस से व्यथित और असंतुष्ट होने के साथ-साथ दूसरे कारण-प्रदर्शन नोटिस सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 21217/2021 को भी प्राथमिकता दी। हालाँकि, उपरोक्त रिट याचिका का निपटान दिनांक 16.02.2022 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में चिह्नित है, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ता के करण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण में उठाए गए प्रत्येक तर्क पर विचार करें और कानून के अनुसार एक स्पष्ट आदेश पारित करें। अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया

और अंत में ज्ञापन संख्या 8580 दिनांक 31.05.2022 में निहित विवादित आदेश को पारित किया गया, जिसमे याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा देते हुए उसे सरकार के साथ भविष्य में किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया।

8. याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के विवादित आदेश का विरोध करते हुए समीक्षा आवेदन दायर किया जिसे ज्ञापन संख्या 17575 दिनांक 27.09.2022 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। दोनों आदेश इस अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन हैं।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंध्याचल सिंह, ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट, जिसे बर्खास्तगी का आदेश देने का आधार बनाया गया है, को याचिकाकर्ता के अपराध के संबंध में गलत निष्कर्ष निकालने के लिए एक सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई सबूत नहीं हैं और ना ही पुष्टि करने वाले साक्ष्य हैं। तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को विभागीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभागीय कार्यवाही के दौरान इसके किसी भी सदस्य द्वारा इसे कभी साबित या प्रमाणित नहीं किया गया है।

10. जल्दबाजी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, याचिकाकर्ता को इसका खंडन करने या रिपोर्ट के लेखकों से जिरह करने का कोई अवसर दिए बिना दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार, तीन सदस्यों की समिति की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैद्यता नहीं है, सिवाए इसके कि इसे याचिकाकर्ता की पीठ के पीछे तैयार किया गया है और इसलिए, इसका उपयोग संचालन अधिकारी की राय से भिन्न होकर बड़ी सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त तर्क के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य** के मामले मे **(2009) 2 एससीसी 570** में दिए गए निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आरोप पत्र [प्रपत्र (का)] की ओर आकर्षित किया और इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि इसमें गवाहों के नाम शामिल नहीं हैं और न ही इसमें नियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत परिकल्पित आरोप- प्रत्यारोप शामिल हैं और इस तरह, यह न तो कानूनी है और न ही संधारणीय है, क्योंकि यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि शिकायतकर्ता श्री राजीव रंजन, जिनकी शिकायत पर, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच की गई थी, विभागीय कार्यवाही के दौरान कभी भी उनकी जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता की साख भी संदिग्ध थी, जिसकी संविदा सेवाएं पहले ही वित्तीय भ्रष्टाचार के सिद्ध आरोपों के आधार पर ज्ञापन संख्या 723 दिनांक 24.05.20212 (अनुलग्नक-11) के तहत समाप्त की जा चुकी थीं।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि बेशक जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रकरण (का) में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए दूसरा कारण बताएँ नोटिस जारी किया, जो पूरी तरह से अवैध और अस्थिर है। इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की राय पर भी विचार करने में विफल रहा, जिसने स्पष्ट रूप से राय दी गई कि जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के मामले में बर्खास्तगी की सजा अनुपातहीन है।

13. बर्खास्तगी के विवादित आदेश का उल्लेख करते हुए, यह आगे तर्क दिया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा आरोप साबित करने के निष्कर्ष पर पहुंचने पर प्रस्तुत कारण-बताओ नोटिस पर विचार नहीं किया और वास्तव

में जांच रिपोर्ट के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट की राय सहित सभी प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी की। याचिकाकर्ता की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए अपीलीय/समीक्षा प्राधिकरण द्वारा इसी तरह की गलती को दोहराया और फिर से पुष्टि की गई है।

14. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क का खंडन किया और पूरी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ उप-समाहर्ता के पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किशनगंज के कार्यकारी अभियंता राजीव रंजन के साथ मिलकर मनरेगा के कर्मचारियों से अवैध धन निकालना शुरू कर दिया है। जब यह तथ्य सामने आया, तो तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच की गई, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को सही पाया, जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक प्राधिकारी से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आरोप पत्र जारी किया गया।

15. संचालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई थी और उचित विचार के बाद वह जांच रिपोर्ट के निम्नलिखित बिंदुओं पर असहमत थे, उदाहरण के लिए- शिकायतकर्ता का बयान तीन सदस्यीय समिति द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता के निर्देश पर उन्हें प्रति प्रखंड 1,00,000/- रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने मामले की सूचना देने के लिए किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे नहीं मिल सका। अंत में, जब मामला सामने आया, तो एकत्र की गई राशि संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दी गई। उपरोक्त तथ्य से काफी स्पष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के कहने पर शिकायतकर्ता कार्यकारी अभियंता द्वारा अवैध धन एकत्र किया गया था।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हालांकि याचिकाकर्ता को तीन सदस्यीय समिति के गठन के बारे में सूचित नहीं किया गया था, लेकिन इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज के निर्देश के अनुसार, तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता ने अवैध धन लिया था। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, संचालन अधिकारी मामले को संवेदनशील रूप से नहीं ले सकें और केवल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट से भिन्न होकर आगे बढ़कर दूसरा कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के कारण दर्शाओ स्पष्टीकरण को समर्थन नहीं मिला और अंत में यह पाए जाने पर कि याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज के नाम पर अवैध धन लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया है, बर्खास्तगी का विवादित आदेश पारित किया।

17. अंत में यह तर्क दिया गया है कि जहां तक बिहार लोक सेवा आयोग की राय का संबंध है, वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा, बिहार लोक सेवा आयोग सजा के असमान होने के कारणों का खुलासा करने में विफल रहा। इस प्रकार, बिना ठोस कारण के सलाह को कायम नहीं रखा जा सकता है, जबकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से साबित हो चुका है। बर्खास्तगी के विवादित आदेश की भी समीक्षा प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से कानून और नियम, 2005 के तहत दिए गए वैधानिक निर्देशों के अनुसार की गई है और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलों पर गहन विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। निस्संदेह, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन पर, इस न्यायालय की राय है कि सजा को खारिज करने वाली पूरी विभागीय जांच तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने शिकायतकर्ता श्री राजीव रंजन के आरोप की पुष्टि की है।

19. यह सच है कि प्रारंभिक जांच सरकारी कर्मचारी के काम के संचालन के संबंध में तथ्यों के संग्रह के उद्देश्य से की जाती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1854** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रारंभिक जाँच भले ही एकतरफा की जाए, यह केवल सरकार के लिए है और उस स्तर पर अपराधी अधिकारी को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, यह मामूली बात है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आरोप साबित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है, जब तक कि रिपोर्ट की सामग्री का समर्थन करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की जाती है।

20. इस न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को भी देखा है, जो कि रिट याचिका के अनुलग्नक-2 में निहित है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता श्री राजीव रंजन ने अपना मौखिक बयान दर्ज करने के अलावा एक लिखित बयान प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ग्यारह मनरेगा कर्मचारियों के नामों का खुलासा किया है, लेकिन उनमें से कोई भी आरोप का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया है। यहां तक कि जिस व्यक्ति के नाम का शिकायत में खुलासा

किया गया है कि उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को पैसे वापस कर दिए हैं, इस मामले को उजागर किए जाने पर उनके बयान भी दर्ज नहीं किए गए हैं। तीन सदस्यीय समिति की पूरी रिपोर्ट श्री राजीव रंजन की शिकायत/लिखित बयान पर आधारित है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में भ्रष्टाचार के आरोप को पूरी तरह से साबित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह संबंधित कर्मचारी पर दीवानी के साथ-साथ आपराधिक परिणाम भी लाता है। वह मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे मामलों में दिए गए गंभीरतम दंड को भी भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा, इसलिए, अर्ध आपराधिक प्रकृति के ऐसे गंभीर आरोप को किसी भी संदेह की छाया से परे और पूरी तरह से साबित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रकृति के मामले में बर्खास्तगी के अलावा कोई अन्य सजा नहीं हो सकती है। गबन की राशि छोटी या बड़ी हो सकती है, यह गबन का कार्य ही प्रासंगिक हैं| **[यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विनोद कुमार, (2008) 1 एस. सी. सी. 115 और भारत संघ और अन्य बनाम ज्ञान चंद चत्तर में रिपोर्ट किए गए, (2009) 12 एस सी सी 78 में** रिपोर्ट किया गया**]**

21. इस मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान न तो शिकायतकर्ता और न ही जांच समिति के सदस्यों से पूछताछ की गई थी और इस प्रकार याचिकाकर्ता को उसमें किए गए कथनों/तर्कों का खंडन करने या प्रतिपरीक्षा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता से पूछताछ न करने से सरकारी कर्मचारी को जिरह के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, यह नियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में अनिवार्य है **पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य बनाम जय भगवान, ने (2011) 6 एस. सी. सी. 376** में रिपोर्ट किया**।**

22. **रूप सिंह नेगी** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर दी गई निर्भरता में इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा भी शामिल है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश का समर्थन तर्कों से किया जाना चाहिए। अपराध की ओर इशारा करते हुए अभिलेख पर लाई गई सामग्री को साबित करने की आवश्यकता है। निर्णय उन सबूतों पर लिया जाना चाहिए, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य है। साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान बर्खास्तगी कार्यवाही में लागू नहीं हो सके, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संदेह, जैसा कि सर्वविदित है, चाहे कितना भी अधिक क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में कानूनी प्रमाण का विकल्प नहीं माना जा सकता है।

23. यह न्यायालय ***रूप सिंह नेगी*** (उपरोक्त) के निर्णय पारा 14 को संक्षेप में समाहित करना उचित समझता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य की सामग्री को गवाहों से पूछताछ करके साबित करना होता है।

> *"14. निःसंदेह, एक विभागीय कार्यवाही एक अर्ध न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने चाहिए। अनुसंधान अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जाँच अधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जाँच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं*

माना जा सका। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और इसकी सामग्री को साबित नहीं किया। रिलायंस, अन्य बातों के साथ-साथ, जाँच अधिकारी द्वारा एफ़. आई. आर. पर रखा गया था जिसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता था।"

24. नियम, 2005 का नियम 17 बड़े दंड लगाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। नियम, 2005 का नियम 17 (3) अनुशासनात्मक प्राधिकरण को बाध्य करता है कि जहां इस नियम के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के सार को एक निश्चित और विशिष्ट आरोप के रूप में तैयार करेगा या तैयार करेगा। नियम, 2005 के नियम 17 (3) (बी) में निर्देश दिया गया है कि आरोप पत्र में उन दस्तावेजों की एक सूची होनी चाहिए जिनके द्वारा उन गवाहों की एक सूची होनी चाहिए जिनके द्वारा आरोप के लेखों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है। नियम 5 अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आगे निर्देश देता है कि वह सरकारी कर्मचारी को आरोप के लेखों की एक प्रति, कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का ऐसा बयान और दस्तावेजों और गवाहों की एक सूची प्रदान करे जिसके द्वारा प्रत्येक आरोप के लेख को बनाए रखने का प्रस्ताव है और सरकारी कर्मचारी से अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने और यह बताने की आवश्यकता होगी कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता है।

25. हाथ में मामले में, स्वीकार किया जाता है कि आरोप पत्र में गवाहों की सूची नहीं होती है और आरोप केवल तीन सदस्यीय जांच रिपोर्ट के आधार पर साबित

होते हैं। इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 2022 की धारा १७(३) और (४) को पूरी तरह से छोड़ दिया है।

26. अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की राय भी मांगी गई है, जिसने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया, और इस प्रकार उपलब्ध सामग्री पर ध्यान देते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता का जवाब भी शामिल है, अंत में जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

27. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न तो जांच अधिकारी का निष्कर्ष और न ही उसकी सिफारिश दंड देने वाले प्राधिकारी पर बाध्यकारी है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी/सरकार रिपोर्ट से सहमत हो सकती है या ऐसी रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों से पूरी तरह या आंशिक रूप से भिन्न हो सकती है। हालांकि, जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण, नियम 17 (2) के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, किसी भी आरोप के लेख की जांच प्राधिकरण के निष्कर्ष से असहमत होता है, तो यह नियम, 2005 के नियम 18 (2) को आकर्षित करता है, जो अनिवार्य रूप से उसे इस तरह की असहमति के लिए अपने कारणों को दर्ज करने और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए अनिवार्य करता है, केवल तभी जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो।

28. हम यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पीठ के पीछे तैयार की गई है- इसे विभागीय कार्यवाही के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही के दौरान इसे इसके किसी भी सदस्य द्वारा साबित या प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और इस तरह, इसे एक सबूत नहीं कहा जा सकता है, याचिकाकर्ता को

कथित आरोपों के लिए दोषी ठहराने के लिए कानूनी रूप से वैध सबूत से बहुत कम। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी दूसरा कारण-प्रदर्शन नोटिस नियम, 2005 के नियम 18 (2) के तहत प्रदान की गई अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करता है क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष से भिन्न होकर सामग्री पर भरोसा किया है, जो स्पष्ट रूप से कानून में अस्वीकार्य है।

29. इस न्यायालय ने उस विवादित आदेश पर भी विचार किया है जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई है। अपराधी याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार न करने के अलावा, कोई चर्चा नहीं की गई है, जिला मजिस्ट्रेट की राय और जांच रिपोर्ट के संबंध में कोई सावधानीपूर्वक जांच की गई है जिससे याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। समीक्षा प्राधिकरण ने भी दंड के अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि करने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समान गलती की है, जो किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है। संपूर्ण विभागीय कार्यवाही विभिन्न अवैधताओ/कमियों से ग्रस्त है- नियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य निर्देशों की अवहेलना के अलावा, जिसका किसी भी अपराधी के खिलाफ विभागीय रूप से कार्यवाही करते समय अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है।

30. ऊपर की गई चर्चाओं और कानून में अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के साथ किए गए घोर अन्याय का मामला है, इस प्रकार ज्ञापन संख्या 8580 में निहित दिनांकित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, साथ ही ज्ञापन संख्या 17575 दिनांक 27.09.2022 के आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है।

31. तदनुसार, रिट याचिका को इस आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सभी परिणामी लाभों के साथ अनुमति दी जाती है।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

अंजनी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।